आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ,तहसील :प्रतापगढ़
वाद संख्या :-02263/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202102570302263
श्री एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा व्यवस्थापक देशराज सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा व्यवस्थापक देशराज सिंह सुत हंसराज सिंह निवासी ग्राम शुकुलपुर दहिलामऊ परगना व तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़ के प्रार्थनापत्र, जो आर0 सी0 प्रपत्र 25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर धारा 80(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि ग्राम सराय उगई परगना व तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 184 गाटा संख्या 259 क्षेत्रफल 1.296है0 पर आवेदक द्वारा विद्यालय का निर्माण कराया जाना है और उसपर कोई कृषि कार्य बहुत पहले से नहीं हो रहा है। वाद ग्रस्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार सदर से कराई गई। तहसीलदार सदर की निर्धारित प्रारूप पर संस्तुति सहित आख्या संलग्न पत्रावली है, जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम सराय उगई परगना व तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़ की खतौनी खाता संख्या 184 गाटा संख्या 259 क्षेत्रफल 1.296है0 पर आवेदक की भूमि स्थित है। मौके पर विद्यालय का भवन व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य हो रहा है तथा भूमि को व्यावसायिक/शैक्षणिक प्रयोजन में लाया जाना है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार सदर की आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना नहीं है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि हाइवे/किसी प्रयोजन में प्रभावित नहीं है। अभिलेखों तथा तहसीलदार की संलग्न आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की सामान्य अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है (धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 से आच्छादित नहीं है)। जिलाधिकारी गहोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार कुल मूल्यांकन 4925000/– रूपये होता है, जिसका एक प्रतिशत 49500/– रूपये होता है। प्रश्नगत भूमि अकृषिक/व्यावसायिक/शैक्षणिक होने के दृष्टिगत मु0 97500/–रू0 का कोर्ट फी स्टाम्प अदा किया गया है, तथा मु0 1000/– रूपये जरिये चालान संख्या आर.जे.डी. 210000333 द्वारा राजस्व कोषागार में जमा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम सराय उगई परगना व तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़ की खतौनी खाता संख्या 184 गाटा संख्या 259 क्षेत्रफल 1.296है0 पर विद्यालय का निर्माण कर अकृषिक/व्यावसायिक/शैक्षणिक रूप में प्रयोग किया जाना है एवं कृषि कार्य नहीं हो रहा है। जिसको अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। जिसको अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। राजस्व संहिता की धारा 80(2) के अन्तर्गत घोषणा के उपरांत यदि आवेदक पांच वर्ष की अवधि के अन्दर गैर कृषिक सम्बन्धी कार्यवाही करने में विफल होता है तो उपधारा 2 के अधीन घोषणा व्यपगत हो जायेगी तथा इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिये ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञायें समाशोधन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

आदेश

अतः श्री एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा व्यवस्थापक देशराज सिंह सुत हंसराज सिंह निवासी ग्राम शुकुलपुर दहिलामऊ परगना व तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़ की भूमि स्थित ग्राम सराय उगई परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 184 गाटा संख्या 259 क्षेत्रफल 1.296है0 पर भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद स्वीकार करते हुए भू–राजस्व से मुक्त करते हुए धारा 80(2) के अन्तर्गत अकृषिक/व्यावसायिक/शैक्षणिक प्राख्यापित किया जाता है। तहसीलदार सदर की संस्तुति सहित आख्या व लेखपाल का स्थलीय अनुकृति आदेश का अंग होगा। पत्रावलित सत्यापित अभिलेखों, आख्या तथा शपथपत्रों के असत्य या त्रुटिपूर्ण पाए जाने की स्थिति में यह आदेश उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–82(1) के तहत स्वतः निरस्त समझी जाएगी। उक्त के अतिरिक्त किसी विपरीत अथवा मिथ्या तथ्य के संज्ञान में आने पर प्रभावित पक्ष का हित सुरक्षित माना जायेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराकर आख्या 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक सदर, प्रतापगढ को भेजी जाय। अनुपालन कार्यवाही के उपरांत पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

01.06.21

उपजिलाधिकारी सदर
प्रतापगढ़